दो मांस तस्कर गिरफ्तार हुए

जमुनहा। नेपाल राष्ट्र से मांस लाकर भारत में बेचने व पवित्र माह में शौहार्द बिगाड़ने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मल्हीपुर थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह, गुरुवार को टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण शील थे। इस दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि मोहम्मद लुकमान खान पुत्र कमाल मोहम्मद निवासी बनगई थाना मल्हीपुर व जिबराइल पुत्र मरदान निवासी अकार कानीबोझी थाना मल्हीपुर नेपाल राष्ट्र से अवैश भैंसा व पड़वे का मांस लाकर भारत में बेचते हैं। जिस कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है व पवित्र माह में शौहार्द बिगड़ सकता है। सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को ग्राम गजोबरी से गिरफ्तार कर लिया।

एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 10 वर्ष जेल

श्रावस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय 14 वां वित्त आयोग अजय कुमार सिंह ने एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। भिनगा कोतवाली पुलिस ने अंटा तिराहे के पास से संदेह के आधार पर लूची को पकड़ा था।

पुलिस ने लूची की जामा तलाशी के दौरान उसके पास से नाजायज चरस बरामद किया था। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने लूची को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियुक्त की ओर से जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।